

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या:-150/2025 (2025/334)

प्रार्थी
 हीराराम

बनाम

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी

रूधसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-10-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा राजस्व वाद अनवान हीराराम बनाम अचलाराम अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 07.12.2026 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में ख़ाजिर किया गया था। जिसे प्रार्थी मनसुख कराकर पुनः राजस्व वाद को गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्‍नोई एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रहलादसिंह उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सूनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2025 को पेश किया है। जबकि मूल वाद दिनांक 07.12.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में ख़ारिज हो गया लगभग नौ वर्षों के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी ख़ारिज किया जाता है। तथा नवीन वाद पेश करने की अनुमति दी जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p>	